फर्द अहकाम

नितिन बनाम सरकार

यालय

ख्या 180/2024

ा	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	५/७/२४	वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 का पेश किया। रिपोर्ट सरिश्ता तलब हो चुकी है। पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रार्थी की बहस सुनी गई। प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना स्वीकार किया जाकर विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया जाता। पत्रावली मिसल मुताबिक पेश [illegible] रजिस्टर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 15:34:47 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय(सांगानेर)जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस.
प्रार्थना पत्र संख्या :..180./2024
निर्णय दिनांक : 04.07.2024

1. नितिन कुमार बिंदल पुत्र श्री राधावल्लभ जाति महाजन निदेशक इनफिनिट हार्डवेयर टेक्नोलॉजी प्रा० लि० पता मकान संख्या जी–2, प्लाट न० डी–19 कॉलोनी–बालाजी अपार्टमेन्ट 3. राधा विहार न्यू सांगानेर रोड जयपुर।
2. राहुल भटट पुत्र श्री बिहारी लाल भटट जाति ब्राहमण निदेशक इनफिनिट हार्डवेयर टेक्नोलॉजी प्रा० लि० मकान सख्या ०, कॉलोनी, सहकारी बैंक के पास, न्यू मार्केट अजीतगढ, सीकर।

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सांगानेर जिला जयपुर

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 बाबत सीमाज्ञान के आधार पर पत्थरगढी किये जाने हेतु।

प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र का विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की हाल आराजी कृषि भूमि खाता सख्या 8 के खसरा न० 16/1 रकबा 1.0116 है० व हाल खाता सख्या 8 के खसरा न० 16/2 रकबा 0.5058 है०, वाके ग्राम बाढ हरिहरपुरा पटवार हल्का अजयराजपुरा भू.अभि.नि. क्षेत्र कलवाडा तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित है। उक्त आराजीयात का सीमाज्ञान दिनांक 13/06/2024 को कार्यालय श्रीमान उप तहसीलदार बगरू के आदेश कमांक / एल. आर/350/2024/1027 दिनांक 10/06/2024 की पालना में ग्राम बाढ हरिहरपुरा के खसरा न0 16/1 प 16/2 रकबा 1.5174 है0 का सीमाज्ञान करने मौके पर पहुंचा मौके पर प्रार्थी खातेदार उपस्थित मिले। सीमाज्ञान कार्यवाही मैट्रिक जरीब व नक्शा ट्रेस से की गई। मौके पर खसरा न० 12 गै०मु० चाह से जरीब चलाकर 16/2 दक्षिणी पश्चिमी कौना कायम किया गया, मिलान खसरा न० 16 के दक्षिणी–पश्चिमी कोने से किया गया। तत्पश्चात खसरा न० 16/1, 16/2 की सभी सीमाओ के चिन्ह बताए गए। फर्द मौका वनाकर व उपस्थित को पढा–सुनाकर हस्ताक्षर करवाए गए। प्रार्थीगण की उक्त आराजीयात पर पडौसी काश्तकार जबरन कब्जा करने की कोशिश करते रहते है तथा आये दिन प्रार्थीगण के साथ लडाई झगडा करते रहते है। तथा प्रार्थीगण की भूमि की मेड को तोडकर अपनी भूमि में मिलाकर उसमे अवैध रूप से कब्जा कर निमार्ण करना चाहते है। जबकि उसको ऐसा करने का कोई कानूनन अधिकार नही है। प्रार्थीगण की भूमि के पडोसी काश्तकार से किसी प्रकार का झगडा नही हो तथा सीमा पर किसी प्रकार का विवाद नही हो इसलिए उक्त आराजी का सीमाज्ञान के अनुसार पत्थरगढी किया जाना आवश्यक है। प्रार्थीगण अपनी उक्त आराजीयात पर सीमाज्ञान के अनुसार पत्थरगढी करवाना चाहता है जिससे वो अपनी आराजीयात के चारो तरफ तार वाउण्डरी कर अपनी आराजीयात को सुरक्षित कर सके तथा भविष्य मे

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 15:34:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

सीमाज्ञान के लिए पडौसी काश्तकार से किसी प्रकार का विवाद नही हो इसलिए सीमाज्ञान के अनुसार पत्थरगढी किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद पेश है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण की आराजी कृषि भूमि खाता सख्या 8 के खसरा न0 16/1 रकबा 1.0116 है० व हाल खाता सख्या 8 के खसरा न० 16/2 रकबा 0.5058 है०, वाके ग्राम बाढ हरिहरपुरा पटवार हल्का अजयराजपुरा भू.अभि.नि. क्षेत्र कलवाडा तहसील सांगानेर जिला जयपुर का सीमाज्ञान के अनुसार पत्थरगढी किये जाने के आदेश जरिये पुलिस हिमदयाद के अप्रार्थी को फरमाने की कृपा करे।

प्रार्थीगण की ओर से पेश प्रार्थन पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रार्थीगण अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र पर सुना गया। दौराने बहस प्रार्थीगण अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थीगण की हाल आराजी कृषि भूमि खाता सख्या 8 के खसरा न० 16/1 रकबा 1.0116 है० व हाल खाता सख्या 8 के खसरा न० 16/2 रकबा 0.5058 है०, वाके ग्राम बाढ हरिहरपुरा पटवार हल्का अजयराजपुरा भू.अभि.नि. क्षेत्र कलवाडा तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित का सीमाज्ञान के अनुसार पत्थरगढी किये जाने के आदेश जरिये पुलिस हिमदयाद के अप्रार्थी को फरमाने की कृपा करे।

बहस प्रार्थीगण अधिवक्ता एवं प्रार्थना पत्र का अवलोकन कराने पर प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाता है तहसीलदार सांगानेर को आदेशित किया जाता है कि यदि किसी अन्य दिगर न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो प्रार्थीगण की हाल आराजी कृषि भूमि खाता सख्या 8 के खसरा न० 16/1 रकबा 1.0116 है० व हाल खाता सख्या 8 के खसरा न० 16/2 रकबा 0.5058 है०, वाके ग्राम बाढ हरिहरपुरा पटवार हल्का अजयराजपुरा भू.अभि.नि. क्षेत्र कलवाडा तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित है का प्रार्थीगण की भूमि के पाडौसी खातेदारों की उपस्थिति में तहसीलदार सांगानेर की सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 13.06.2024 के अनुसार पत्थरगढी की जावें। दौराने पत्थरगढी काननू व्यवस्था को ध्यान रखा जावे एवं आवश्यकता होने पर पुलिस इमदाद की सहायता ली जावे। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार सांगानेर को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 04.07.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
जयपुर–द्वितीय, (सांगानेर)
.जयपुर

उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 15:34:47 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट,जयपुर द्वितीय (सांगानेर),जयपुर
ईमेलः sdo2san@gmail.com
टैली फैक्स 0141-2731100

क्रमांक/ कोर्ट/2024 / 4877 दिनांक 10/7/24

तहसीलदार
तहसील सांगानेर।

विषयः—न्यायालय हाजा में निर्णित प्रार्थना पत्र संख्या 180/2024 उनवानी नितिन वगै0 बनाम सरकार अन्तर्गत धारा 111, 128 राज0 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में दिनांक 04.07.2024 को जारी निर्णय की पालना बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस न्यायालय हाजा में निर्णित प्रार्थना पत्र संख्या 180/2024 उनवानी नितिन वगै0 बनाम सरकार अन्तर्गत धारा 111, 128 राज0 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में दिनांक 04.07.2024 को जारी निर्णय की पालना हेतु पत्र के संलग्न जारी निर्णय की छाया प्रति भिजवाई जा रही है। अगर अन्य किसी दीगर न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो निर्णय की पालना कर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में भिजवाया जाना सुनिश्चित करे।

संलग्न उपरोक्तानुसार।

(हिम्मत सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
जयपुर—द्वितीय, (सांगानेर)
जयपुर

o/c

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 15:34:47 IST
Reason: SelfAttested